संख्या-02/2022/1364/22-4-2021-48(52)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-05 जनवरी, 2022

विषय- जिला कारागार , महराजगंज में 01 नग समरसेबिल,केन्द्रीय कारागार बरेली(द्वितीय) में 04 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प एवं जिला कारागार, आजमगढ़ में 02 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की स्थापना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32437/नम-3/2021-22, दिनांक-07.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में जिला कारागार , महराजगंज में 01 नग समरसेबिल,केन्द्रीय कारागार बरेली(द्वितीय) में 04 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प एवं जिला कारागार , आजमगढ़ में 02 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-612/22-4-2021-48(52)/021-48(52)/18टीसी, दिनांक-12.08.2021 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) द्वारा गठित आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 5.00 करोड़ तक की योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं औचित्य के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, कारागार विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त कार्यों की लागत रू0 5.00 लाख पर मूल्यांकित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया जिला कारागार , महराजगंज में 01 समरसेबिल हेतु रू0 2.00 लाख, केन्द्रीय कारागार, बरेली(द्वितीय) में 04 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प हेतु रू0 2.00 लाख तथा जिला कारागार, आजमगढ़ में 02 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प हेतु रू0 1.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 5.00 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2.50,000/- (रूपया दो लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	जिला कारागार, महराजगंज	01 समरसेबिल पम्प की स्थापना	2.00	1.00
2	केन्द्रीय कारागार, बरेली(द्वितीय)	04 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की स्थापना	2.00	1.00
3	जिला कारागार, आजमगढ़	02 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना	1.00	0.50
		योग-	5.00	2.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय - समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा ।

(3) प्रस्तावित सबमर्सिबुल ट्यूबवेल में उपकरणों की खरीद सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दि0 23.08.2017, दि0 25.08.2017 तथा दि0 29.08.2017 जिसमें जेम पोर्टल पर सामाग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है के अनुसार क्रय किया जाएगा ।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-11-कारागार विभाग के भवनों/परिसर में लघु निर्माण कार्य-25-लघु निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-001/दस/2021-22, दिनांक-04.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-02/2022/1364(1)/22-4-2021-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, महराजगंज/बरेली/आजमगढ़।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागार, महराजगंज/बरेली/आजमगढ़।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in